

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

(223/1, सिविल लाइन, मेरठ-250001)

पत्रांक- 3080 /14-1, दिनांक, मेरठ, 01 फरवरी, 2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- दिल्ली-कानपुर मार्ग कि०मी० 54 (चैनैज 53.997) की दायी पटरी के किनारे खसरा नम्बर 1440, ग्राम सिकन्द्राबाद देहात में रिलायन्स बी०पी० मोबिलिटी लिमिटेड के रिटल आउटलेट स्थापित करने हेतु मार्ग पटरी की 0.0786832 हे० संरक्षित वन भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में।

Proposal No. FP/UP/Approach/154252/2022.

संदर्भ:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर का पत्रांक 2490/14-1, दिनांक 17.01.2023।

महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर के संदर्भित पत्र से विषयक प्रस्ताव संस्तुति सहित प्राप्त हुआ है। अतः उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए इस कार्यालय की संस्तुति सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार 03 प्रतियों में।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

पत्रांक- 3080 /14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर को उनके संदर्भित पत्र के में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार एवं उ०प्र० शासन से विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक सम्बन्धित क्षेत्र में किसी भी दशा में कार्य न होने दिया जाये। प्रभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दे दिये जाये कि समय-समय पर क्षेत्र का भ्रमण कर निगरानी करते रहे।

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

o/c

भाग-III

दिल्ली-कानपुर मार्ग कि०मी० 54 (चैनेज 53.997) की दायी पटरी के किनारे खसरा नम्बर 1440, ग्राम सिकन्द्राबाद देहात में रिलायन्स बी०पी० मोबिलिटी लिमिटेड के रिटल आउटलेट स्थापित करने हेतु मार्ग पटरी की 0.0786832 हे० संरक्षित वन भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में। **Proposal No. FP/UP/Approach/154252/2022.**

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो निरीक्षक नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सूझावों से सममत है।	सहमत हैं
16.	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि :- 01-02-23 हस्ताक्षर

स्थान :-

मेरठ

नाम और पदनाम-
सरकारी मोहर-

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र
मेरठ

प्रस्ताव संख्या:- एफ0पी0/यू0पी0/अप्रोच/154252/2022

प्रस्तावित भूमि:- 0.0689812 है0

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली-भाँति परीक्षण करा लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशो नियमो व दिशा- निर्देशो के अनुरूप है विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

हस्ताक्षर

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

बलनन्दशहर।
बुलन्दशहर।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बुलन्दशहर



क्षेत्रीय वनाधिकारी
बुलन्दशहर

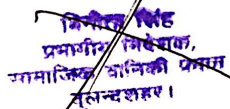
हस्ताक्षर

प्रयोक्ता एजेंसी के नामित प्रतिनिधि
(नाम, मोहर एवं तिथि सहित)


DEPUTY GENERAL MANAGER
RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED

प्रतिहस्ताक्षरित

(उप-प्रमुख)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक
(नाम, मोहर एवं तिथि सहित)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र
मेरठ


निदेशक/निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बुलन्दशहर